रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2003/ज्येष्ठ 13, 1925
No. 507] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2003/JYAISTHA 13, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2003

का.आ. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (2ख) के साथ पठित उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश देती है कि तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 477(अ) तारीख 25 जुलाई, 1991 में, जो भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 25 जुलाई, 1991 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

1. अनुसूची III में,—

(क) क्रम संख्यांक 56, 61, 72, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 127, 138, 149, 155, 156क, 34, 157 से 210 तक, 212, 312 और 326 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्यांक 154 के सामने, स्तम्भ 4 में उत्पाद कोड 30392809 से सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्यांक 128 के सामने—

(i) स्तम्भ 3 में, उत्पाद कोड "303201" के स्थान पर, उत्पाद कोड "42713" रखा जाएगा;

(ii) स्तम्भ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"लगातार बहिर्वेधन प्रक्रिया द्वारा के सिवाय एक्रिलिक चद्दरें";

(घ) क्रम संख्यांक 143 के सामने,

(i) स्तम्भ 3 में उत्पाद कोड "303902" के स्थान पर, उत्पाद कोड "42960" रखा जाएगा;

(ii) स्तम्भ 4 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"एक्सपेंडेबल पालिएस्ट्रीन बीडस से पालिएस्ट्रीन फ्रोम उत्पाद (एक्सपेंडेबल पालिएस्ट्रीन बीडस मैन्युफेक्चरर्स के स्लेबों को छोड़कर)"।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 7(5)/2002-आई.पी.]

उमेश कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 477(अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् निम्न द्वारा संशोधित किया गया:—

1. अधिसूचना सं. का.आ. 298(अ) तारीख 3-4-1997
2. अधिसूचना सं. का.आ. 71(अ) तारीख 3-2-1999
3. अधिसूचना सं. का.आ. 673(अ) तारीख 19-7-2000
4. अधिसूचना सं. का.आ. 2(अ) तारीख 1-1-2001 और अधिसूचना सं. का.आ. 20(अ) तारीख 9-1-2001
5. अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ) तारीख 29-6-2001 और
6. अधिसूचना सं. का.आ. 533(अ) तारीख 20-5-2002

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2003

S.O. 649(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) read with sub-section (2B) of Section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Advisory Committee, hereby directs that following amendments shall be made in the notification of the then Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 477(E) dated 25th July, 1991, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 25th July, 1991, namely :—

In the saiod notification,—

1. in Schedule III,—

(a) serial numbers 56, 61, 72, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 127, 138, 149, 155, 156A. 34, 157 to 210, 212, 312 and 326 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) against serial number 154, in column 4, the entries relating to product code 30392809 shall be omitted;

(c) against serial number 128,—

(i) in column 3, for the product code "303201", the product code "42713" shall substituted;

(ii) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Acrylic sheets except by continuous extrusion process";

(d) against serial number 143,—

(i) in column 3, for the product code "303902", the product code "42960" shall be substituted;

(ii) in column 4, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"polystyrene foam products from expandable polystyrene beads (except slabs for expandable polystyrene beads manufacturers)".

2. This notification shall come into force on the date of its publication on the Official Gazette.

[F. No. 7(5)/2002-IP]

UMESH KUMAR, Jt.. Secy.

FOOT NOTE :—The Principal notification was issued vide number S.O. 477(E), dated the 25th July, 1991 and subsequently amended vide :—

1. S.O. 298(E), dated the 3rd April, 1997
2. S.O. 71(E), dated the 3rd February, 1999
3. S.O. 673(E), dated the19th July, 2000
4. S.O. 2(E), dated the1st January, 2001 and S.O. 20(E), dated the 9th January, 2001
5. S.O. 603(E), dated the 29th June, 2001 and
6. S.O. 533(E), dated the 20th May, 2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.